बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0–01 लघु खनन (स्टो0)–10/21–1214/एम0, पटना, दिनांक–16/03/2022

प्रेषक,

फैक्स/ई–मेल

गोपाल मीणा,भा0प्र0से0
निदेशक, खान।

सेवा में,

सभी उप निदेशक,
सभी सहायक निदेशक,
सभी खनिज विकास पदाधिकारी,
सभी खान निरीक्षक।

विषयः– बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–39 के तहत प्रपत्र 'K' अनुज्ञा पत्र के निर्गत/नवीकरण करने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक 340/एम0, दिनांक 03.02.2021 तथा पत्रांक 619/एम0, दिनांक 14.02.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–39 के तहत प्रपत्र 'K' में भंडारण अनुज्ञप्ति निर्गत/नवीकरण करने हेतु प्रासंगिक पत्रांक 340/एम0, दिनांक 03.02.2021 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है :–

क्रम सं0	पत्रांक–340/एम0 दिनांक–03.02.2021 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका।	संशोधित कंडिका
1.	कंडिका–3 – User Id एवं Password के पोर्टल में प्रविष्टि के उपरांत भंडारण अनुज्ञप्ति/नवीकरण हेतु वांछित दस्तावेज एवं आवेदन शुल्क भुगतान के साक्ष्य के साथ अपलोड करना होगा। संबंधित जिला के खनन पदाधिकारी द्वारा Uploaded कागजातों एवं आवेदित भंडारण स्थल की जाँच कर GPS Co-ordinates के साथ व्यापार के साथ फोटो दस (10) दिनों के अन्दर संबंधित अंचल के उप निदेशक/सहायक निदेशक को Forward कर दिया जाएगा।	User Id एवं Password के पोर्टल में प्रविष्टि के उपरांत भंडारण अनुज्ञप्ति/नवीकरण हेतु वांछित दस्तावेज एवं आवेदन शुल्क भुगतान के साक्ष्य के साथ अपलोड करना होगा। संबंधित जिला के खनन पदाधिकारी द्वारा Uploaded कागजातों एवं आवेदित भंडारण स्थल/GPS Co-ordinates के साथ जाँच कर (10) दिनों के अन्दर अनुज्ञप्ति निर्गत/नवीकरण अथवा आवेदन अस्वीकृत किया जाएगा। यदि 10 दिन के अन्दर खनन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदन की जाँचकर नियमानुकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी तो संबंधित पदाधिकारी/लिपिक का वेतन स्वतः रूक जाएगा एवं एक माह से अधिक आवेदन लंबित रहने की स्थिति में अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

P.T.O.

2.	कंडिका–4– प्रपत्र–'K' के लिए नये आवेदनों/नवीकरण का आवेदन संबंधित प्रमण्डलीय उप निदेशक/ सहायक निदेशक द्वारा जाँचोपरान्त पाँच (05) दिनों के अन्दर निस्तार किया जायेगा। विशेष कारणों से भंडारण अनुज्ञप्ति निर्गत करने में हुए विलम्ब को निदेशक, खान द्वारा क्षान्त किया जाएगा।	कंडिका–4 को विलोपित किया जाता है।
3.	कंडिका–6 "भंडारण अनुज्ञप्ति लघु खनिजों की बिक्री अपने जिले में ही कर सकेंगे। भंडारण अनुज्ञप्तिधारी, जो बालू बंदोबस्तधारी है, उनके लिए यह बाध्यता नहीं रहेगी। बल्कि वे कहीं भी बालू की बिक्री कर सकते है।"	भंडारण अनुज्ञप्तिधारी लघु खनिजों की बिक्री बिहार राज्यान्तर्गत किसी भी जिला में कर सकेंगे।

निदेशित किया जाता है कि बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवरण) नियमावली, 2019 में वर्णित प्रावधानों तथा मार्गदर्शिका/संशोधित मार्गदर्शिका के आलोक में प्रपत्र 'K' में भंडारण अनुज्ञप्ति निर्गत/नवीकरण करने संबंधी अग्रेतर कार्रवाई किया जाय।

विश्वासभाजन

16/03/2022

निदेशक, खान